2176
15-10-01
(2)
P.O. 265
K.M. 5
Deptt. 15
Advt 5
CPB. 240
पूरा किया
प्रभारी
रा० बि० एकक

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

प्रभारी
पत्र वितरण एकक

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 5, 2001/आश्विन 13, 1923
No. 270] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2001/ASVINA 13, 1923

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2001

फा. सं. 9-5/2001/राअशिप.—1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रवर्तन—राअशिप की धारा 32 की उपधारा 2 के खंड (च) तथा (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) की धारा 14 और 15 के साथ और साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली, 1997 के नियम 7(4) के साथ पढ़ा जाए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप की स्थापना से पूर्व मौजूद संस्थानों से मान्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि) विनियम, 2001 बनाती है।

ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

ये विनियम ऐसे सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों के मामले में लागू होंगे जोकि सक्षम प्राधिकारी की वैध मान्यता सहित 17 अगस्त, 1995 से पूर्व मौजूद थे और जो अध्यापक शिक्षा में किसी भी ऐसे पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहे थे जिसके संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मानदंड और मानक निर्धारित किए जा चुके हैं।

3. आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि

(i) उपर्युक्त धारा 2 में उल्लिखित और आवेदन करने की तारीख को अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समितियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना विचार किया जाए बशर्ते कि उनके साथ नए संस्थानों के मामले में निर्धारित 5 हजार रुपए का आवेदन शुल्क संलग्न किया गया हो।

(ii) ऐसे मामलों में आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियमों में निर्धारित अंतिम तारीख लागू नहीं होगी।

(iii) इस तरह के आवेदन पत्रों की जांच करते समय क्षेत्रीय समितियां इस संबंध में अपने आपको आश्वस्त करेंगी कि अध्यापक शिक्षा में जो पाठयक्रम चलाया जा रहा है वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना अर्थात् 17 अगस्त, 1995 से पूर्व से चलाया जा रहा हो और इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय समितियां इस प्रकार के ब्यौरों का सत्यापन करेंगी जैसेकि वह वर्ष जबसे वह पाठ्यक्रम बिना किसी रुकावट के सतत रूप से चलाया जा रहा है, संबंधन विश्वविद्यालय का नाम, संबंधन आदेश की प्रति, आयोजित परीक्षाएं और घोषित परिणाम, अनुमोदन, यदि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया हो तो।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

408

(iv) क्षेत्रीय समितियां यदि आवश्यक समझें तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार का मत प्राप्त कर सकती हैं।

(v) विधिवत् जांच करने के बाद क्षेत्रीय समितियां आवेदन पत्रों पर और आगे विचार किए जाने के निमित्त उन्हें स्वीकार किए जाने के संबंध में परिषद् को विशिष्ट सिफारिश करेंगी।

(vi) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार क्षेत्रीय समितियों द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया केवल परिषद् से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

(vii) ऐसे मामलों में प्रदान की गई मान्यता केवल भविष्य के लिए होगी।

एस. के. रॉय, सदस्य सचिव

[विज्ञापन 3/4/131/2001/असाधा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2001

F.No. 9-5/2001 NCTE.—1. Short title and commencement.— In exercise of the powers conferred under Clauses (f) and (g) of Sub-section (2) of Section 32 read with Sections 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73 of 1993) and further read with Rule 7 (4) of the NCTE Rules, 1997 the National Council for Teacher Education hereby makes the NCTE (procedure to be followed in processing applications for recognition received from institutions existing prior to the establishment of NCTE) Regulations, 2001.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability

These Regulations shall be applicable to all teacher education institutions existing prior to the 17th August, 1995 with valid recognition of competent authorities and offering any of the Courses in teacher education, for which norms and standards have been prescribed by the NCTE.

3. Procedure to be followed in processing applications

(i) The applications received from teacher education institutions referred to in clause 2 above and offering a course in teacher education on the date of application may be considered by the Regional Committees of the NCTE without NOC if they are accompanied by an application fee of Rs. 5,000/- as prescribed for new institutions.

(ii) Last date for receipt of applications prescribed in the NCTE Regulations will not apply in such cases.

(iii) The Regional Committees, while scrutinising such applications have to satisfy themselves that the Course in teacher education offered has been continuing prior to the establishment of the NCTE, i.e. the 17th August, 1995, by verifying such details like the year from which the course has been running continuously without break, name of the affiliating university, copy of the affiliation order, examinations conducted and results declared, approval, if any, granted by the State Govt.

(iv) The Regional Committees may, if considered necessary, obtain the view of the State Govt. in the matter.

(v) The Regional Committees, after due examination, should make specific recommendations to the Council for accepting the application for further consideration.

(vi) Process of grant of recognition as per Section 14(3) of the NCTE Act should be taken up by the Regional Committees only on receiving the permission of the Council,

(vii) Recognition granted in such cases will have only prospective effect.

S. K. RAY, Member Secy.

[ADVT. 3/4/131/2001/Exty.]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

409